Research Chronicler, International Multidisciplinary Refereed Peer Reviewed Indexed Research Journal
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X

21वी शताब्दी में भारत में महिलाओं की स्थिति

प्रिया कुमारी

सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री गुरुनानक देव पी.जी. कॉलेज, नानकमत्ता, ऊधम सिंह नगर, (उत्तराखण्ड)

सारांश

प्राचीनकाल में भारतीय समाज में महिलायों सर्वशक्तिसंपन्न थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिती में गिरावट आ गई थी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सब प्रकार से छीन ली गयी और उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुषों के अधीन कर दिया गया।जबकि बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिती में कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ब्रिटिश काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और समाज में कुछ और स्थान प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिली। महिलाओं के परिरक्षण और रोकथाम के लिए कुछ निवारक कानून बनाए गए थे।महिलाओं की स्थिती को ऊपर उठाने के लिए आजादी के बाद महिलाओं से संबंधित कई कानून बनाए गए।आधुनिक समय में भारतीय महिलायों का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है। लेकिन आधुनिकता के विस्तार के साथ देश में दिन प्रति दिन महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। महिलायों की स्थिति में पूरी तरह सुधार और समानता लाने के लिए सरकारों और नागरिको को साथ मिलकर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।

मुख्य बिंदु- महिलाये, अपराध,21वी शताब्दी

प्रस्तावना

विश्वभर में महिलाओ को अपने लिंग के कारण बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इतिहास में अगर देखा जाये तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ महिला और पुरुष को समान अधिकार मिले हो। महिलायों को समाज में अपने अधिकारों के लिए हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है। भारत की महिलाये भी इस स्थिति से अलग नहीं है।प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारतीय महिलायों की स्थिति में काफी बदलाव आये है। आज के आधुनिक समय में भारतीये महिलायों का शिक्षा, विज्ञान, कार्यस्थल, राजनीति और कई अन्य क्षेत्रों में बहुत योगदान है। लेकिन आधुनिकता के विस्तार के साथ देश में दिन प्रति दिन महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रही है, जिसका असर महिलायों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ में पड़ता है। इस कारण महिलाये खुदखुशी, अवसाद आदि स्थिति का शिकार बन जाती है। इन स्थितियों को सुधरने के लिए समाज के हर इन्सान को काम करना पड़ेगा ताकि महिला और पुरुष के बीच का अंतर मिटाया जा सके।

प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय समाज में उनका सम्मान और आदर्श प्राचीनकाल में आदर्शात्मक और मर्यादा युक्त था। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के

समान थी। वे अपना आत्म विकास और उत्थान कर सकती थी। उन्हें विवाह, शिक्षा,संपत्ति का अधिकार प्राप्त था।कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में तथा माता के रूप में वे प्राचीन भारतीय समाज में प्रतिष्ठित थी।भारतीय धर्मशास्त्र में महिलाओं की स्थिति सर्वशक्तिसंपन्न थी।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिती में गिरावट आ गई थी। इस काल में पुत्री के जन्म को बुरा माना जाने लगा। इस युग में महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इस काल में महिलाओं को यज्ञ आदि कामों, बाल विवाह का प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह पर रोग लगना शुरू हो गया था। मनु और याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों के द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंधात्मक निर्देश तथा पतिव्रता धर्म का पालन करनाऔर पति को परमेश्वर का रूप माना जाना आदि के निर्देश दिए गए।

मध्यकाल को महिलाओं की स्थितियों के दृष्टिकोण से काला युग कहा जा सकता है। भारत में राजाओं की आपसी फूट का फायदा मुसलमानों ने उठाया और भारत देश पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। कुछ बादशाह ने ज़ोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाया तथा महिलाओं के साथ ज्यादतियां शुरू कर दी। जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं ने स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंधात्मक निर्देशों और स्मृतिकारों की मनगढंत बातों को धार्मिक स्वीकृति प्रदान की गई। मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सब प्रकार से छीन ली गयी और उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुषों के अधीन कर दिया गया।

जबकि बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिती में कुछ हद तक सुधार हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ब्रिटिश काल में औद्योगिकीकरण के कारण,कठोर जाति व्यवस्था में लचीलेपन के कारण महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और समाज में कुछ और स्थान प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिली। महिलाओं के परिरक्षण और रोकथाम के लिए कुछ निवारक कानून बनाए जाने लगे जैसे-

- सती प्रथा अधिनियम, 1829
- लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, 1835
- हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,1856
- कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम,1870
- बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929
- हिंदू महिला संपत्ति का अधिनियम, 1939

स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं की स्थिति

आजादी के बाद के दशकों में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिती में जबरदस्त बदलाव देखा गया है। भारत के संविधान में लिंगों की समानता को मौलिक अधिकार के रूप में निर्धारित किया गया। महिलाओं की स्थिती को ऊपर उठाने के लिए आजादी के बाद महिलाओं से संबंधित कई कानून बनाए गए जैसे-

- हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, 1949
- विशेष विवाह अधिनियम,1954

- हिंदू विवाह अधिनियम,1955 (1986 और 2010 मे संशोधित)
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम,1956
- अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- मातृत्व लाभ अधिनियम
- सती निवारण अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- विवाह अधिनियम, 2006 अनिवार्य पंजीकरण
- बाल विवाह निषेध अधिनियम,2007
- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 2013
- दंड विधि संशोधन, 2013

21वी शताब्दी में भारतीय महिलाओं की स्थिति

भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों में शिशु मृत्यु दर लड़कों की तुलना में 61% अधिक है। यह असमानता शिक्षा में भी मौजूद है। समान आयु के लड़कों के 3/4 की तुलना में 6 से 17 वर्ष की आयु की केवल 2/3 लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अवधि श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 71% भारतीय पुरुष कार्यबल में शामिल हैं जबकि केवल 22% महिलाएं काम पर है।

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, लिंग अनुपात 943 है, जो ग्रामीण इलाकों में 949 और शहर में 929 था। एशिया में भारत की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता दर 65.46% है जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है. भारत में ग्रामीण इलाकों की 100 लडकियों में से केवल एक लड़की क्लास-12 तक शिक्षा ले पाती है और 40% लडकियाँ क्लास-5 तक स्कूल छोड़ देती है। गरीबी भी कम महिला साक्षरता दर का एक कारण है।

भारत में 13% खेतो में महिलायों का अधिकार है। लगभग 41 % महिलाएं शारीरिक श्रम से जीवन यापन करती है। भारत में महिला और पुरुष के बीच वेतन का अंतर भी बहुत पाया जाता है। मोंस्टर सैलरी इंडेक्स (MSI) के अनुसार, समान काम करने के लिए भारतीय पुरुष का वेतन भारतीय महिलओं से 25% ज्यादा होता है।

आधुनिकता के विस्तार के साथ देश में दिन प्रति दिन महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रही है। लैंसेट के 2011 के सर्वे के अनुसार, भारत में 30,00,000 से 60,00,000 महिला भ्रूण को हर साल जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ज्यादातर लडकियों की शादी आज भी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ और 364 महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हुईं।यूनीसेफ की 2012 की रिपोर्ट 'हिडेन इन प्लेन साइट'

के मुताबिक भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 34% विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने पति के हाथोंयौनहिंसा झेली है। इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च वुमेन के अनुसार भारत में 10 मिनट में छह पुरुषों ने कभी ना कभी पत्नी अथवा प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2016 के बीच देश भर में बलात्कार के 1,10,333 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में 250 से 300 एसिड अटैक की घटनाएं हर साल बढ़ रही है।15 से 49 वर्ष की 84% महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रभावित हो रही है।सन 2017 में भारत में महिलायों की शादी की औसत आयु 22 पाई गयी थी।सन 2017 में भारत में महिला शिशु मृतु दर 34 थी।

भारतीय महिलाओं से संबंधित ऐतिहासिक मामले और निर्णय

महिला सुरक्षा को विस्तृत करने वाले कुछ ऐतिहासिक निर्णय वर्तमान समय में देखे गए हैं, जिनमे महिलाओ ने अपने ऊपर हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई थी।एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्ज़ाके ऐतिहासिक फैसले में एससी ने एयर होस्टेस को असंवैधानिक और मनमानी के रूप में गर्भवती होने की स्थिति में समाप्त करने के लिए एयर इंडिया के नियमन को माना। इस विशेष निर्णय ने महिलाओं की कामकाजी स्थिती को काफी हद तक बदल दिया।

एक मामले मेंएसिड पीड़िता द्वारा याचिका दायर की गई थी।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों कोएसिड के नियमन रेग्युलेशन का निर्देश जारी कियाथा। अदालत ने कंपनसेशन की समस्या का भी समाधान किया सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 357(ए), पीड़ित या उसके आश्रितों डिपेंडेंट को कंपनसेशन के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करता है, जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप नुकसान या चोट का सामना करना पड़ा है और जिन्हें रीहैबिलिटेशन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एसिड अटैक के पीड़ितों को राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कम से कम Rs3,00,000 की कंपनसेशन दी जानी चाहिए,जिससे उनकी देखभाल और रीहैबिलिटेशन किया जा सके।

निष्कर्ष

प्राचीन काल से अब तक भारत में महिलायों की स्थिति में बहुत बदलाव आये है। हमारे संविधान कानूनों के अनुसार महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है,लेकिन हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते है कि पित्रसत्तात्मक मानसिकता वाला समाज महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्वीकार नहीं कर रहा है।नारी गरिमा,पवित्रता और संवेदनशीलता की प्रतीक है, जो हम पर अलग अलग रूपों में प्यार बरसाती हैं, चाहे वो माता का प्रेम हो, या पत्नी के रूप में हो, या चाहे वह कोमल हृदय वाली बहन हो या मित्र के रूप में हो। उन्हें समझने, प्रोत्साहित करने, सम्मान करने और महत्व देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने महिलायों के लिए बहुत कानून बनाये है ताकि उनकी स्थिति में

सुधार आ सके। लेकिन महिलायों के प्रति हिंषा, लिंग भेद और वेतन में अंतर कुछ ऐसी चुनौतियाँ है जिनको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अभी भी काफी कोशिश करनी पड़ेगी।

भारतीय सरकार, सरकारी और गैर संस्थाओ तथा भारत के नागरिको को साथ में मिलकर ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास करना होगा जहाँ महिलाये सुरक्षित हो और उन्हें उचित सम्मान दिया जाये। ग्लोरिया स्टेनयम के शब्दों में समानता के लिए महिला के संघर्ष की कहानी एक नारी वादी या किसी संगठन की नहीं है, बल्कि उन सभी के सामूहिक प्रयास की है जो मानवाधिकारों की परवाह करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

- **जोहरी, जे. सी. 2021.** भारत का सविधान और मानव अधिकार. एस.बी.पि.डी.पब्लिकेशन. पेज-70
- **मेहरोत्रा, म. 2011**. महिला अधिकार और मानव अधिकार. जनन गंगा पब्लिकेशन. पेज-159.
- **राष्ट्रीय महिला आयोग. 2021**
- **Udas, S. 2013. Challenges of beiga women in India. CNN world.https://edition.cnn.com/2013/01/12/world/asia/india-women-challenge/index.html**
- **Census of India. 2011.** https://censusindia.gov.in/
- **Female righs. 2021.** https://www.female-rights.com/india/